

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल-16

क्रमांक

15


/स्था/मु.प्रनिबो/2018

भोपाल, दिनांक

06 JAN 2018

-: कार्यालय आदेश :-

- (1) समस्त क्षेत्रीय अधिकारी बिना सदस्य सचिव की अनुमति के पदस्थापना स्थल (मुख्यालय) नहीं छोड़ेंगे। अवकाश अवधि में भी व्यक्तिगत कारण से पदस्थापना स्थल (मुख्यालय) छोड़ना हो तो उसकी भी अनुमति प्राप्त करना होगी।
- (2) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बोर्ड मुख्यालय अथवा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर प्रवास हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी। ऐसी अनुमति मान्नीय एन.जी.टी. व न्यायालयीन कार्यों संबंधित प्रकरणों संबंधी यात्राओं के पूर्व भी प्राप्त करना आवश्यक है।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ अन्य अधिकारियों द्वारा बोर्ड मुख्यालय में अथवा अन्य जगहों पर कार्यालयीन कार्यों हेतु की जाने वाली यात्राओं हेतु संलग्न प्रपत्र में क्षेत्रीय अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी, मुख्यालय आने वाले अधिकारियों द्वारा उक्त अनुमति पत्र पर मुख्यालय की संबंधित शाखा से सत्यापन कराया जायेगा।
- (4) बोर्ड मुख्यालय व कार्यक्षेत्र से बाहर की यात्रा यदि कार्यालयीन वाहन से की जानी हो तो उसके लिये पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा संबंधित वाहन चालक द्वारा इसे मुख्यालय की स्थापना शाखा से सत्यापित कराना आवश्यक होगा।



(ए.ओ. मिश्रा)

सदस्य सचिव,

भोपाल, दिनांक

06 JAN 2018

पृ० क्रमांक

16

/स्था/मु.प्रनिबो/2017

प्रतिलिपि :-

- 1 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 2 समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 3 क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला में पदस्थ समस्त स्टाफ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 4 आर्डर बुक/गार्ड फाईल/आईटी शाखा।

यात्रा कार्यक्रम

मैं.....पदनाम..... कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय/ क्षेत्रीय प्रयोगशाला, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड..... कार्यालय से संबंधितकार्य हेतु(स्थल का नाम) की यात्रा करना चाहता हूँ ।

उक्त यात्रा हेतु मैं दिनांककोबजे (समय) प्रस्थान करूंगा व दिनांकको कार्य स्थलपर पहुंच कर दिनांक.....कोबजे (समय) पर कार्यस्थल पर पहुंचुंगा ।

स्थान:

दिनांक:-

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति सहित हस्ताक्षर एवं सील

श्री नाम.....पदनाम..... कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय/ क्षेत्रीय प्रयोगशाला, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड..... कार्यालय से संबंधितकार्य हेतु दिनांकसे दिनांक.....तक मुख्यालय में उपस्थित हुये । एक दिन से अधिक की अवधि होने पर शाखा प्रभारी द्वारा पूर्ण अवधि के संबंध में स्पष्ट रूप से टीप अंकित की जाये ।

मुख्यालय की शाखा प्रभारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :-उक्त सत्यापित अवधि एवं यात्रा अवधि हेतु ही यात्रा देयक का भुगतान किया जाये ।